

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
मोहनराम बनाम सरकार  
धारा 136  
प्रकरण सख्या 95/2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

18.07.2023

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 95/2022 मोहनराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम रेकॉर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र में तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 59 रकबा 2.6224 हैक्टर में ग्राम नारनाडी में सदभाविक भूल से स्वश्री मांगीलाल उर्फ मांगीया उर्फ मानिया पुत्र रावत के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता व दादा का पूनाराम पुत्र रावतराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार झंवर से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार (भूअ) झंवर के पत्र क्रमांक/भूअ/2023/1069 दिनांक 19.01.2023 के तहत जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा नम्बर 59 रकबा 2.6224 हैक्टर में प्रार्थी का पूर्व में मानिया पुत्र रावता दर्ज होना बताया गया जबकि जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में मांगीलाल पुत्र रावताराम दर्ज हुआ। एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077-2080 में मांगीलाल पुत्र रावतराम जाति मेगवाल निवासी डोली खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उनके वारिशान द्वारा सहमती प्रदान की गई जो शपथ में उल्लेख किया गया एवम मृत्यु प्रमाण पत्र एव ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में मानिया पुत्र रावतराम एव पुनाराम पुत्र रावतराम जाति मेगवाल निवासी डोली दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया गया।

अतः- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम नारनाडी के खसरा नम्बर 59 रकबा 2.6224 हैक्टर में स्वश्री मांगीलाल उर्फ मांगीया उर्फ मानिया पुत्र रावत के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम पूनाराम पुत्र रावतराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

(पुखराज कासोटिया)RAS

उपखण्ड अधिकारी एवं उपाखण्ड अधिकारी  
सहायक कमिश्नर एवं उपाखण्ड अधिकारी  
लणी